मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 11413/12/2015/चयन — इन्दौर, दिनांक 19 DEC 2019

अतिरिक्त चयन परिणाम

—:: चिकित्सा अधिकारी–2015 ::—

(डब्ल्यू.पी.3176/2017 डॉ. रणबहादुर सिंह चौहान विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 08.08.2017 को पारित निर्णय के परिपालन में)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2015/दिनांक 08.06.2015 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के कुल 1896 पद विज्ञापित किये गये थे। साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों के साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 16 जनवरी, 2017 से 23 फरवरी, 2017 तक एवं 04 मार्च, 2017 को आयोजित किये गये थे, साक्षात्कार उपरांत आयोग द्वारा अंतिम चयन परिणाम क्रमांक 181/12/2015/चयन, इन्दौर, दिनांक 07 मार्च, 2017 द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 07 मार्च 2017 को घोषित चयन परिणाम में लेख किया गया था कि न्यायालयीन प्रकरण वाले 01 अभ्यर्थी का चयन परिणाम न्यायालयीन आदेश के परिपालन में रोका जाकर न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखा गया हैं ।

2/ याचिका क्रमांक 3176/2017, डॉ. रणबहादुर सिंह चौहान विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2017 के विरुद्व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डब्ल्यू.ए. 1060/2017 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था, जो अंतिम रूप से दिनांक 05.09.2019 को निर्णित की जाकर रिट अपील खारिज कर दी गई हैं, इस तरह डब्ल्यू.पी. 3176/2017 में दिनांक 08.08.2017 में पारित आदेश अंतिम हो चुका हैं, जिसमें याचिकाकर्ता डॉ. रण बहादुर सिंह चौहान का चयन परिणाम घोषित कर उसे सूचित किये जाने हेतु आदेशित किया गया हैं ।

3/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 08.08.2017 को पारित अंतिम निर्णय के परिपालन मे याचिकाकार डॉ. रणबहादुर सिंह चौहान, रोल नम्बर 620, अनारक्षित श्रेणी के प्राप्तांक, साक्षात्कार में न्यूनतम उत्तीर्णांक 41 अंक से कम 36 अंक प्राप्त होने से चयन परिणाम निरंक घोषित किया जाता है ।

टीप :–

1. "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।"

(रेनु पन्त)
सचिव
म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर